



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1553 का संशोधन सहित नवीकरण/
Amendment cum Renewal of Type Approval No. 1553

विषय/Sub: नॉन रिटर्न वाल्व (एनआरवी) डाय 10 मिमी /
Non Return Valve (NRV) Dia 10 mm

यह घोषित किया जाता है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बेंगलूरु - 560 017 द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा मेसर्स सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर (सीटीटीसी), ओडिसा - 751 024 द्वारा उत्पादित " नॉन रिटर्न वाल्व (एनआरवी) डाय 10 मिमी " पार्ट सं. ए1के- आई4-1090-000-000 तथा ए1के- आई4-1090-000-001 को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1553, दिनांक 12 नवंबर 2010, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1553 जारी किया गया था तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1553/1ए, दिनांक 24 जुलाई 2013 द्वारा अनुशेष जारी किया गया था जो कि 31 दिसंबर 2015 तक वैध था।

This is to state that the "Non Return Valve (NRV) Dia 10mm" bearing the Part No. A1K-I4-1090-000-000 & A1K-I4-1090-000-001, designed, developed by Aeronautical Development Agency, Bengaluru - 560 017 and manufactured by M/s. Central Tool Room & Training Centre (CTTC), Orissa - 751 024 was issued with Type Approval No. 1553 vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-1553, Dated: 12th Nov 2010, subsequently an addendum issued vide Ref No.: CEMILAC/5070/TA-1553/1A, Dated: 24th July 2013 and was valid upto 31st December 2015.

उक्त वर्ग अनुमोदन सं. 1553 और उसके परिशिष्ट ' ए ' में निम्नलिखित संशोधन लागू होगा /
The following Amendment is effected in the subject Type Approval No. 1553 and its Appendix 'A'.


Wherever/ For	Read as
Part No. : A1K-I4-1090-000-001 & Assembly Drawing No.: A1K-I4-1090-000-001, Dated: 08 th July 2013.	Part No. : A1K-I4-1090-000-001 & Assembly Drawing No.: A1K-I4-1090-000-001, Issue - 01, Dated: 14 th Oct 2015.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2016 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2020 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए(वायुयान), सेमिलैक, मारतहल्ली पोस्ट आफिस, बेंगलूरु - 560 037, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st January 2016 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st December 2020 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Aircraft), CEMILAC, Marathahalli P.O., Bengaluru-560 037, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause. All other terms & conditions stipulated in the Type Approval Certificate remain unaltered.

सं./No. : सेमिलैक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1553/2A/1R
दिनांक/Date : 06 January 2016
फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

04/01/16


पी जयपाल / P.JAYAPAL
मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)